Regarding granting of ownership rights to tribal forest dwellers living in government land

श्री राजकुमार रोत **(**बांसवाड़ा**) :** सभापति महोदय, धन्यवाद । आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर प्रदान किया । वन अधिकार अधिनियम, 2006 की मूल भावना थी कि आदि-अनादि काल से वन विभाग की भूमि पर निवास करने वाले आदिवासी समुदाय को उनका मालिकाना हक दिया जाए, लेकिन वन अधिकार अधिनियम, 2006 से आज दिनांक तक 51 लाख आदिवासी समुदायों ने अपना दावा पेश किया, जिसमें से 25 लाख आदिवासियों को मालिकाना हक मिला । आज भी 26 लाख आदिवासी परिवारों ने वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत आवेदन किया है, लेकिन उनको पट्टा नहीं मिला है । मतलब डेढ़ से दो करोड़ आदिवासी समुदाय आज भी वन विभाग की जमीन पर रह रहे हैं, जो सरकार की नजर में अतिक्रमणकारी हैं । राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकार के अधिकारियों ने कहा है कि बाघों को स्थापित करने के लिए चार लाख आदिवासियों को विस्थापित किया जाय । अगर टाइगरों से इतना प्यार है, ट्राइबलों को विस्थापित किया जा रहा है, तो जो ऐसे अधिकारी और मंत्री जी हैं, उनके वहां एक-दो टाइगर छोड़ दिए जाएं । टाइगरों को रखने के लिए आदिवासियों को क्यों विस्थापित किया जा रहा है? वर्तमान में मध्य प्रदेश के देवास शहर में बारिश के मौसम में आदिवासी समुदाय के परिवारों को वन विभाग द्वारा विस्थापित किया जा रहा है । आजादी के पहले आदिवासी समुदाय के लोग अंग्रेजों और मुगलों से हथियार लेकर आते थे, तो हथियार की लड़ाई लड़ लेते थे, लेकिन आज के समय में आदिवासी समुदाय के लोगों के साथ कलम और कागज की लड़ाई लड़ी जा रही है । कलम और कागज के हथियारों से उनको विस्थापित किया जा रहा है, जो गलत है । मेरी मांग यह है कि वर्तमान में जो 26 लाख आदिवासी परिवारों के पेंडिंग दावे हैं और जो निरस्त कर दिए गए है, सरकार पुन: उनका रिव्यू करे और इन आदिवासी समुदाय के परिवारों को उनका मालिकाना हक दिया जाय ।